न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 171/2022

पीठासीन अधिकारी –श्री रामजी भाई कलबी, आर.ए.एस

अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अ.

प्रार्थी – 1. मीरा देवी पत्नि गेनाराम जाति जाट, निवासी पनोरिया, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।

बनाम

विप्रार्थीगण –
1. जियाराम पुत्र रूगाराम 2. बांकाराम पुत्र खेताराम
3. गेनाराम पुत्र मघाराम जाति जाट, निवासी पनोरिया तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर
4. कमलादेवी पत्नि बालाराम 5. गंगाराम पुत्र जालाराम
6. भागीरथ पुत्र जालाराम 7. रामकिशन पुत्र जालाराम
8. चेनाराम पुत्र रामकिशन 9. तुलछाराम पुत्र रामकिशन
10. बाबुलाल पुत्र रामकिशन 11. बालाराम पुत्र सुखराम
12. सुजाणाराम पुत्र करनाराम जाति विश्नोई निवासी पनोरिया तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।
13. जगदीश पुत्र रावताराम जाति सोनी निवासी सऊओं का गोलिया तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर
14. शाखा प्रबंधक एस.बी.आई.शाखा सेड़वा
15. तहसीलदार सेड़वा

अधिवक्तागण – प्रार्थी वकील – **श्री श्रीराम विश्नोई**

विप्रार्थी संख्या 2 वकील – मेहराराम

सहायक कलक्टर सेड़वा

निर्णय

दिनांक :– 12/04/2023

प्रार्थी का आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीनी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 के तहत् अदालत हाजा में प्रस्तुत कर दिया गया है, जिसमें वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रार्थिनी को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। प्रार्थीनी का ये प्रथम दृष्टया वाद है। प्रार्थीनी एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 13 के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त का खेत मौजा पनोरिया पटवार क्षेत्र पनोरिया भू.अ.नि. क्षेत्र फागलिया तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर में खसरा नम्बर 629/352 रकबा 0.6637 हैक्टर (04.02बीघा), खसरा संख्या 628/352 रकबा 2.6385 (16.06बीघा), खसरा संख्या 464/201 रकबा 6.5640 हैक्टर (40.11बीघा) किस्म बा.सो, कुल

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

बा 9.8662 हैक्टर (60.19 बीघा) आये हुऐ है। विवादित भूमि मै प्रार्थीनी एवं विप्रार्थीगण की रीदी हुई सम्पति है तब से प्रार्थीनी एवं विप्रार्थीगण का अपने–अपने हिस्से पर कब्जा काश्त है। विवादित भूमि मौजा पनोरिया पटवार क्षेत्र पनोरिया भू.अ.नि.क्षेत्र फागलिया तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर में खसरा संख्या 629/352 रकबा 0.6637 हैक्टर व खसरा संख्या 628/352 रकबा 2.6385 हैक्टर में वादीनी का 1/5 हिस्सा व खसरा संख्या 464/201 रकबा 6.5640 हैक्टर में वादीनी का 2/5 हिस्सा खातेदारी अधिकारों का है तथा प्रार्थीनी के इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में हिस्से खुल्ले हुऐ है। राजस्व रेकर्ड के हिस्सो के माफिक प्रार्थीनी एवं विप्रार्थीगण विवादित भूमि पर काबिज है तथा अपनी रहवासी ढाणियां, चारबाड़े, पशुबाड़े व टांके बने हुऐ है। विवादित भूमि प्रार्थीनी एवं विप्रार्थीगण के नाम संयुक्त रूप से दर्ज है तथा वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में प्रार्थिनी एवं विप्रार्थीगण के बीच में हिस्से पूर्ण रूप से खुल्ले हुए है परन्तु खेत के हिस्से को लेकर विवाद रहता है तथा मौके पर भूमि का मौखिक रूप से बंटवाड़ा होने से प्रार्थिनी एवं विप्रार्थीगण के मध्य भूमि के सेढ़ो को लेकर झगड़ा रहता है एवं विप्रार्थीगण प्रार्थिनी के हिस्से की भूमि एवं उसके कब्जे काश्त में लगातार दंखलअन्दाजी कर रहे है व पूराने मौखिक बंटवाड़े अनुसार कायम सेढ़ो को तोड़ रहे है तथा सामलाती भूमि का बेचान अजनबी व्यक्तियो को करने पर आमादा है। इस तथ्य को लेकर प्रार्थीनी एवं विप्रार्थीगण के मध्य तनाव की स्थिति बनी रहती है। इसलिए प्रार्थीनी विप्रार्थीगण की सामलाती भूमि में से अपने हिस्सो की भूमि अलग करवाकर राजस्व रिकार्ड में स्वयं के नाम दर्ज करवाना चाहता है इसलिए अपने हिस्से की भूमि बाई मीटस एण्ड बाउण्ड अलग करवाने का अधिकारी है। वादग्रस्त भूमि प्रार्थीनी की संयुक्त खातेदारी की भूमि है तबा प्रार्थीनी का मौके पर अपने हिस्से की भूमि पर कब्जा–काश्त चला आ रहा है एवं मौके पर रहवासी ढाणिया, पशुबाड़ा आदि बने हुए है, व वादग्रस्त आराजी का राजस्व रेकर्ड में हिस्से खुले हुए है व बंटवाड़ा नहीं किए होने के कारण विप्रार्थीगण, प्रार्थीनी के कब्जे–काश्त में दखलन्दाजी करते है तथा प्रार्थीनी को उसके हिस्से की भूमि से जबरन ताकत के बल पर बेदखल करना चाहते है एवं प्रार्थीनी को यह भी धमकियां दे रहे है कि यदि वह प्रार्थीनी को उक्त भूमि से बेदखल करने से कामयाब नहीं हुए तो वह प्रार्थीनी की उक्त भूमि बेचान अन्य किसी सरजोर व्यक्तियों को कर देंगे तथा अन्य सरजोर व्यक्तियों का कर देगे तथा अन्य सरजोर व्यक्तियों की मदद से प्रार्थीनी को उसके हिस्से की भूमि से जबरन बेदखल कर देंगे, यदि विप्रार्थीगण अपने इस नाजायज मकसद में कामयाब हो जाते है तो प्रार्थीनी को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य के करना संभव नहीं होगा तथा प्रार्थीनी के हितों पर कुठाराघात होगा, अस्थायी निषेधाज्ञा के

सहायक कलेक्टर
(SDO) सेड़वा

नों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थीनी के पक्ष में र्णतया प्रमाणित है। इसलिए प्रार्थीनी विप्रार्थीगण के विरूद्व इस आशय की अस्थायी निषधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि उक्त वादग्रस्त खेत की जमीन में प्रार्थीनी के अपने हिस्से की भूमि में विप्रार्थीगण कोई किसी प्रकार से अनुचित हस्तक्षेप व दखलन्दाजी पैदा नहीं करे तथा मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। जिसके लिये यह अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। अतः प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी संख्या एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 13 के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त का खेत मौजा पनोरिया पटवार क्षेत्र पनोरिया भू.अ.नि.क्षेत्र फागलिया तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर में खसरा संख्या 629/352 रकबा 0.6637, खसरा संख्या 628/352 रकबा 2.6385 हैक्टर व खसरा संख्या 464/201 रकबा 6.5640 हैक्टर किस्म बा.सो कुल रकबा 9.8662 हैक्टर किस्म बारानी सोयम भूमि के संबंध में विप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे मूल वाद के निस्तारण तक उक्त वादग्रस्त भूमि से प्रार्थीनी को जबरन बेदखल नहीं करे व न ही वादी के कब्जे काश्त में दखलंदाजी स्वयं करे अथवा अन्य किसी के मार्फत करवाये तथा न ही उक्त भूमि का बेचान या अन्य किसी प्रकार का हस्तान्तरण करे। तथा न ही कोई म्यूटेशन करे व मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थी वकील द्वारा आवेदन पेश कर इस न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश 171/2022 दिनांक 15.06.2022 मौजा पनोरिया पटवार क्षेत्र पनोरिया के खेत खसरा संख्या 629/352 रकबा 0.6637, खसरा संख्या 628/352 रकबा 2.6385 हैक्टर व खसरा संख्या 464/201 रकबा 6.5640 हैक्टर किस्म बा.सो कुल जुमले 9.8662 हैक्टर किस्म बारानी सोयम भूमि में विप्रार्थीगण प्रार्थी को जबरन बेदखल नहीं करें व न ही प्रार्थी के कब्जे–काश्त में दखलदांजी स्वयं करे एवं न ही किसी के मार्फत करवायें तथा न ही उक्त भूमि का बेचान या अन्य किसी प्रकार को हस्तान्तरण करे के संबंध में न्यायालय द्वारा मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति का स्थगन आदेश जारी किया गया।

उभयपक्षकारान अधिवक्ता उपस्थित। विप्रार्थीगण वकील ने उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया जाता है। उभयपक्षकारान वकील की बहस सुनी गई। प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र का जवाब विप्रार्थी संख्या 2 की ओर से निम्नानुसार है– जवाब यह है कि वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीनी का अपने हिस्से की भूमि पर कब्जा–काश्त है उसके चारों तरफ प्रार्थीनी ने बाड बना रखी है प्रार्थीनी अगर अपने हिस्से की भूमि का बंटवारा कराना चाहती है तो विप्रार्थी संख्या 02 को कोई आपति नहीं है विप्रार्थीगण प्रार्थीनी के

सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा

कब्जा–काश्त में किसी प्रकार की दखलान्दाजी नहीं करते है उनके खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना उचित नहीं है। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीनी का अपने हिस्से की भूमि पर कब्जा–काश्त है उसके चारों तरफ प्रार्थीनी ने बाड बना रखी है प्रार्थीनी अगर अपने हिस्से की भूमि का बंटवारा कराना चाहती है तो विप्रार्थी संख्या 02 को कोई आपति नहीं है विप्रार्थीगण उक्त वादग्रस्त भूमि के रेकर्डेड खातेदार हैं रेकर्डेड खातेदार को उसके खातेदारी हक–हकूक का इस्तेमाल करने से किसी भी तरह से अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता है विप्रार्थीगण प्रार्थीनी के कब्जा–काश्त में भी किसी प्रकार की दखलान्दाजी नहीं कर रहे है उनके खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना उचित नहीं है प्रार्थीनी के पक्ष में जारी एकतरफा अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज करना उचित है। तथा वर्तमान में प्रार्थीनी को फौत हुए चार महिने से ज्यादा समय हो गया लेकिन प्रार्थीनी वकील द्वारा न्यायालय को किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई। इसलिए प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत आवेदन को खारिज फरमाया जावें। प्रार्थीनी के पक्ष में जारी एकतरफा स्थगन आदेश खारिज कर प्रार्थीनी का अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। पत्रावली पर सलंग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया जिसके आधार पर स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रार्थी वकील द्वारा लिया गया एकतरफा स्थगन आदेश सारहीन, गलत व मनगढंत तथ्यो पर आधारित होने के कारण खारीज किया जाता है।

अतः न्यायहित में प्रार्थी द्वारा विप्रार्थीगण के विरूद्व लिया गया एवं इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी एकतरफा स्थगन आदेश 171/2022 दिनांक 15.06.2022 के मौके एवं रेकर्ड के स्थगन को निरस्त किया जाता है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर मूलवाद के साथ संलग्न पेश हो।

निर्णय आज दिनांक 12/04/23 को न्यायालय के खुले परिसर में सुनाया गया।

(रामजी भाई कलबी)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सेडवा